न्यायालय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 51 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 59

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई हनुमानगढ़, 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, जरिए अधिकृत प्रतिनिधि

—प्रार्थी

बनाम

1. कलावती देवी पत्नी बेगराज, जाति जाट निवासी ग्राम 12 पीएस तहसील रायसिंहनगर
2. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार, अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर आर्बिट्रेटर, श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक / का.आ.691(अ). दिनांक 14.02.2024 के द्वारा राजस्व जिला अनूपगढ़ के लिए जिला कलक्टर अनूपगढ़ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया हैं।
2. प्रार्थी के द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 10.03.2022 जिसके द्वारा चक 12 पीएस के खसरा नं. 202 / / 281 / 24 / 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के वृक्षों के संबंध में अवार्ड पारित किया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राजपत्र में दिनांक 12.01.2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3a के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के रूप में प्राधिकृत किया गया हैं। चक 12 पीएस के खसरा नं. 202 / / 281 / 24 / 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15 में से अवाप्त की जाने वाली भूमि का धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। जिस पर 21 दिवस के भीतर आक्षेप आमंत्रित किये गये और सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा 3 सी के तहत नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया। इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 डी का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अर्जन की घोषणा हेतु धारा 3डी(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 03.08.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। धारा 3डी(2) के अनुसार अर्जन की घोषणा होने के बाद उक्त खसरा की अवाप्त भूमि [illegible] से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गयी। तदुपरान्त [illegible] प्राधिकारी ने धारा 3 जी व धारा 4 जी(7ए) के अनुसार धारा 3ए अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 02.04.2018 को प्रचलित भूमि की दर [illegible] प्राप्त करने के उपरान्त भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार [illegible] भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण कर धारा 3 जी के अन्तर्गत भूमि का अवार्ड दिनांक 27.05.2021 को पारित कर दिया गया। धारा 3 जी(7ए) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि व उस पर स्थित परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण धारा 3ए के प्रकाशन की तारीख से किया जाता हैं। प्रकरण में अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़ पौधों का मूल्यांकन करने के लिए सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिनांक 12.05.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त भूमि पर स्थित पौधों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

गणना व आयु निर्धारित की गई जिनमें कमेटी ने कुल 648 पौधों की आयु 12 वर्ष मानी, के आधार पर मुआवजा राशि रिपोर्ट तैयार कर दी गई। कमेटी रिपोर्ट को आधार मानकर सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त भूमि पर स्थित अवसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण कर आलौच्य अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को पारित कर दिया गया जो कि प्रार्थी को स्वीकार नहीं हैं।

सक्षम प्राधिकारी ने प्रश्नगत पेड़ पौधों की मुआवजा राशि का निर्धारण अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि से कई गुणा निर्धारित कर आलौच्य आदेश पारित किया हैं, जो संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य हैं। उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार सामान्यतः 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात ही मौसमी, संतरे, किन्नू आदि के पौधो का रोपण किया जाता हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 में अंकित तथ्यों के अनुसार उद्यान विभाग के मापदण्डों के बिना रोपित किन्नू के पौधो का केवल आधार मूल्य ही दिया जाना उचित बताया हैं, तदनुसार सक्षम प्राधिकारी, श्रीकरणपुर ने संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खण्ड श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट को आधार मानकार अवार्ड पारित किया हैं। हस्तगत प्रकरण में सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर ने अपील रिपोर्ट में निर्धारित दूरी छोड़े अवाप्त 1.372है. भूमि पर लगे 12 वर्ष की आयु के कुल 648 किन्नू के पौधे की शेष आयु 18 वर्ष मानकर मूल्यांकन कर दिया गया हैं। जबकि मापदण्डानुसार 380 पौधे ही रोपित किये जा सकते हैं। इस प्रकार 268 पौधों का अवार्ड पारित नहीं किया जाना न्यायोचित था। तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 6 वर्ष के किन्नू के एक पौधे की मूल्यांकित राशि 14220 निर्धारित की गयी थी हस्तगत प्रकरण में किन्नू के पौधे की उपज को होने वाले नुकसान के स्थान पर संभावित शेष आयु को आधार मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी। सहायक निदेशक उद्यान हनुमानगढ ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया हैं। प्रकरण में पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान होने के बावजूद भी किन्नू के प्रश्नगत पौधों की आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारण करना सरासर अनुचित व अवैद्य हैं। प्रकरण में अप्रार्थी को खेत में लगे किन्नू के पौधे का भविष्य में संभावित लागत/खर्च/व्यय को बिना घटाये/कम किये सहायक निदेशक उद्यान ने अपने मनमुताबिक तरीके से संभावित शेष आयु को आधार बनाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी। जबकि खातेदार की भूमि पर लगे किन्नू के वृक्षों को वर्तमान में ही अवाप्त हो जाने से भविष्य में कोई खर्च ही नहीं हुआ और ना ही कोई खर्च होने का प्रश्न उठता हैं। प्रकरण में पौधों का मूल्यांकन मनमाने तरीके से बाजार दर पर किया हैं। जबकि वास्तविक रूप से यदि प्रश्नगत पौधो को खेत में से खरीदा जाता तो कृषक को बाजार दर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बाजार दर प्राप्त करने उपरोक्त व्यय/राशि कृषक को खर्च करनी पड़ती। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आलौच्य अवार्ड पारित कर दिया गया। सहायक निदेशक उद्यान ने बिना किसी जांच के अवाप्ति में आये बाग में लगे समस्त पौधों की फल देने की उत्पादन क्षमता एक समान मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसको आधार मानते हुए अवार्ड पारित कर दिया। राजस्थान राज्य में पेड़–पौधों की आयु निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से कोई दिशा–निर्देश व कोई पारदर्शिता नहीं हैं, जिसके कारण संबंधित पदस्त सहायक निदेशक, उद्यान [illegible] अधिकारों का दुरूपयोग कर मनमुताबिक तरीके से बिना किसी आधार [illegible] पेड़–[illegible] की आयु निर्धारित कर दी जाती है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, [illegible] हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्रत्येक पौधे की स्थिति [illegible] आदि के आधार पर मूल्यांकन किये जाने का विवरण प्रार्थना पत्र तालिका में अंकित किया और निवेदन किया कि सीमावर्ती राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु [illegible] होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुए मूल्यांकन किया जाता हैं। पौधों का मूल्यांकन भविष्य की औसत लागत को घटाकर मुआवजा निर्धारित किया जाना न्यायसंगत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को निरस्त कर प्रश्नगत किन्नू के प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होनी वाली संभावित लागत/खर्च एवं

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

आयु को कम कर अवाप्ति के समय प्रश्नगत प्रत्येक किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

3. अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश विधि के अन्तर्गत पारित किया हैं। बागवानी के किसानों द्वारा अत्यधिक खर्च करके फलों वाले वृक्षों की मुआवजा राशि अत्यधिक कम दी गयी हैं कतई न्यायसंगत नहीं हैं। रिपोर्ट दिनांक 12.05.2021 में किन्नू की पौधों की गणना 648 कर आयु 12 वर्ष मानी हैं जबकि अन्य केसों में करणपुर वालों में 13 वर्ष मानी हैं। प्रार्थी को एक वर्ष कम मानकर मुआवजा कम दिया हैं। मुआवजा एक वर्ष का अतिरिक्त जोड़कर मुआवजा पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ अदालत द्वारा जो भी मुआवजा पारित किया है अवार्ड दिनांक 10.03.2022 विधि अनुसार पारित किया हैं। प्रार्थीया के किन्नू के पौधों का निर्धारण बिल्कुल सही किया गया हैं। प्रार्थीया के कि.नं. 1 में टाली के पेड़ का मुआवजा निर्धारण नहीं किया। गंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर में किन्नू के बाग लगे हैं उसमें 6 गुणा 3, 6 गुणा 4 के हिसाब से पौधे लगे हैं प्रार्थी के एक बीघा में 120 पौधे लगे हुए हैं जो विभाग को मौके पर दिखाकर व अनुमति लेकर लगाये गये हैं। इसके बाद अप्रार्थीया ने सिंचाई की हुई हैं। तहसील सूरतगढ़ की भूमि की श्रेणी रायसिंहनगर की भूमि की श्रेणी से कमजोर है वहां का मौसम अलग हैं। सूरतगढ़ में गर्मी ज्यादा पड़ती हैं, किन्नू की वैरायटी अलग अलग हैं। अप्रार्थीया द्वारा बढ़िया क्वालिटी का किन्नू विभाग से अप्रूव्ड करके विभाग द्वारा अनुदान लेकर किन्नू के पौधे लगाये थे। सूरतगढ़ तहसील में जो पौध लगे हैं वे किस श्रेणी के हैं और कहां है, यह विभाग द्वारा अंकित नहीं किया गया केवल क्यास के आधार पर उसकी तुलना की गयी है जो विधिसंगत नहीं होने के कारण याचिका काबिले खारिज हैं। राजस्थान राज्य से लगते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पौधों के बारे में जो हवाला दिया है वह कतई न्यायसंगत नहीं हैं। चूंकि राजस्थान में बाग में नहर का पानी लगता है, पंजाब हरयाणा, और हिमाचल में ट्यूबवेल के पानी से आबपाशी होती हैं। ट्यूबवैलों के पानी से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है जबकि नहर के पानी से बाग की मियाद लम्बी होती है उसमें दीमग नहीं लगती। तुलना राजस्थान से नहीं की जा सकती। अप्रार्थीया की भूमि चक 12 पीएस मु.नं. 24 में 25 बीघा है जिसमें कि.नं. 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15 में सड़क गयी है जिसमें अप्रार्थीया की भूमि दो हिस्सों में बंट गयी है उसकी पानी बारी इकताई थी वह दो हिस्सों में हो गयी है और भूमि टुकड़ों में होने के कारण काबिल काश्त नहीं रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल पौधों के बारे में मुआवजा पारित किया हैं जो भूमि टुकड़ों में हुई है उसके बारे में कोई अंकित नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय का जो अवार्ड है वह तो विधिसम्मत है ही उसके साथ अप्रार्थीया की भूमि मे बीच में से सड़क निकालने से अप्रार्थीया की भूमि की कीमत खत्म हो गयी है उसका मुआवजा अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया। न्यायहित में उसका मुआवजा भी इसके साथ दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए टुकड़ों में हुई भूमि का अवार्ड अलग से पारित कर अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

4. अप्रार्थी सं. 2 जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट आधार पर प्रतिकर राशि की गणना कर विधि अनुसार अवार्ड पारित किया गया हैं। भारतमाला परियोजना पैकेज–6 पार्ट–1 के तहत प्रभावित अवसंरचनाओं / परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को पारित किया गया हैं, जो कि विधि अनुसार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर, सहायक अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग रायसिंहनगर, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रायसिंहनगर, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड श्रीगंगानगर, श्रीमान् उपवन संरक्षक श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार रायसिंहनगर के निर्देशन में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थी एवं अप्रार्थी के उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 10.03.2022 को अवाप्तशुदा भूमि में स्थित अप्रार्थी सं. खातेदार के किन्नू के पौधों का प्रतिकर निर्धारित किया हैं जो कि प्रार्थी को स्वीकार नहीं हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सहायक

निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी प्रकार की जांच किये प्रतिकर का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया हैं। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा एक पौधे की औसत आयु 30 वर्ष एवं किन्नू का मूल्य 18 रू. प्रति किलो मानकर भविष्य में पौधे पर संभावित लागत को बिना कम किये पौधे के आधार मूल्य के आधार पर मनमानी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा पौधे की आयु 25 वर्ष मानी गयी हैं। सीमावर्ती राज्यों पंजाब हरियाणा आदि में लागत को घटाकर मुआवजा की गणना की जाती हैं। उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार 6 गुणा 6 मीटर की निर्धारित दूरी पर पौधारोपण किया जाना चाहिए, इस अनुसार अवाप्त भूमि में 380 पौधे ही रोपित किये जा सकते थे जबकि प्रकरण में 648 पौधों की गणना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं। 268 पौधों का मुआवजा देय नहीं हैं। इस प्रकार पौधों की मुआवजा राशि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि से कई गुणा अधिक निर्धारित की गयी हैं। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित आलौच्य अवार्ड आदेश दिनांक 10.03.2022 निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित करने हेतु निवेदन किया।

6. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राज पैरोकार ने निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पूर्ण जांच उपरान्त अवाप्तशुदा भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करवाते हुए विधि सम्मत अवार्ड पारित किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

7. अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक का अपनी बहस में कथन हैं कि आलौच्य अवार्ड आदेश दिनांक 10.03.2022 विधिसम्मत पारित किया गया हैं। अवार्ड जारी हुए को दो वर्ष से अधिक समय हो गया हैं। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक अवार्ड राशि का भुगतान अप्रार्थी को नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह कथन करना कि निर्धारित नोर्मस अनुसार पौधे नहीं लगाऐ जाने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सकता न्यायसंगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र में पौधों की कीमत अलग होने का अंकन किया हैं। तहसील रायसिंहनगर की भूमि की किस्म एवं सिंचाई एवं भूमि की उर्वरक्ता पृथक हैं। प्रार्थीया की भूमि नहर के पानी से सिंचित होने के कारण अधिक उर्वरक्ता की हैं जिस कारण आयु अधिक हैं। अलौच्य आदेश सही हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

8. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा भारतमाला परियोजना पैकेज 6 पार्ट 1 के तहत अवाप्तशुदा भूमि पर अवस्थित अवसरंचनाओं/परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को पारित किया गया हैं जिसके द्वारा चक 12 पीएस प.नं. 202/281 मु.नं. 24 कि.नं. 1,2,3,6,7,8,9,10,14,15 में अप्रार्थी कलावती देवी पत्नी बेगराज के किन्नू के पौधों का कुल 6,28,83,216/– रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा पारित उक्त अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को अस्वीकार किया गया हैं। पैरा. सं. 1 से 7 तक किये गये विवेचन के आधार पर प्रकरण में आलौच्य अवार्ड की जांच हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को तय किया जाना आवश्यक हैं कि –

1. क्या अप्रार्थी सं. 1 की भूमि पर 648 पौधे स्थित नहीं थे, एवं नियमानुसार 648 पौधे अवाप्त भूमि पर नहीं लगाए जा सकते थे एवं क्या सभी पौधों का मुआवजा देय हैं ?
2. क्या सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं [illegible]धिकारी रायसिंहनगर द्वारा सहायक निदेशक, उद्या[illegible] प्रतिकर की गणना सही हैं ?
3. क्या अप्रार्थी सं. 1 भूमि अवाप्त होने से उनकी भूमि दो टुकड़ों में बंट जाने के कारण अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के अधिक[illegible] हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

9. **बिन्दू सं. 1** :– प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अवार्ड आदेश दिनांक 10.03.2022 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवार्ड के बिन्दू सं. 9 के अनुसार "विभिन्न विभागों से प्राप्त अवाप्तशुदा भूमि में अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पत्र प्राप्त होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कंसल्टेंसी एजेंसी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर के निर्देशन में राजस्व कार्मिकों पटवारी/भू.अ.नि. द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया गया।" अवार्ड के बिन्दू सं. 10 में अंकित हैं कि

"तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/533 दिनांक 07.03.2022 एवं पत्रांक/राजस्व/2022/661 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन प्रतिवेदनों के अनुसार परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन किये जाने एवं परिसम्पत्तियों के स्वामीत्व एवं खसरा संबंधी सूचना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं।" मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.05.2021 पर उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राजस्व पटवारी एवं भा.रा.रा.प्रा.(एनएचएआई) के कंसल्टेंट के भी हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः निष्कर्षतः स्पष्ट हैं कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा अवार्ड पारित करने से पूर्व प्राप्त अवसंरचनाओं के मूल्यांकन प्रतिवेदनों का राजस्व अधिकारी से जांच व भौतिक सत्यापन करवा अवार्ड पारित किया गया हैं, एवं भूमि पर 648 पौधे अवस्थित थे।

प्रार्थी द्वारा प्रमुख रबी फसलों की उन्नत विधियां रबी 2021–22 पुस्तिका कृषि जलवायु खण्ड, श्रीगंगानगर प्रथम–बी, संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार), श्रीगंगानगर द्वारा प्रकाशित की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें किन्नू में ड्रिप पद्धति से सिंचाई के लिए फसल ज्यामिति 6 गुणा 4 वर्ग मीटर एवं 6 गुणा 3 वर्ग मीटर उत्तम पायी गयी, अंकित हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में 648 पौधे पाये गये हैं, जो उद्यान विभाग अनुसार सही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ख के अन्तर्गत भूमि की परिभाषा निम्नलिखित अनुसार की गयी हैं "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें भी शामिल हैं।" अतः अवाप्ताधीन भूमि के पारित अवार्ड में भूमि के साथ भूमि से जुड़ी अस्तियां भी सम्मिलित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध उद्यान विभाग की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.05.2021 के अनुसार भूमि पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 648 पौधे पाये जाने पर मूल्यांकन रिपोर्ट 648 पौधों की गणना कर प्रस्तुत की गयी हैं जो कि समीचीन हैं। मौका रिपोर्ट पर उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राजस्व पटवारी एवं एन.एच.ए.आई. के कंसल्टेंट के भी हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः 648 पौधों के आधार पर की गयी प्रतिकर की गणना विधिसम्मत हैं। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

10. **बिन्दू सं. 2** :– सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत कमेटी की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार पौधे की औसत आयु 30 वर्ष एवं किन्नू के पौधे की शेष आयु 18 वर्ष एवं किन्नू का औसत भाव 18 रूपये प्रति किलोग्राम, एवं 12 वर्ष के पौधे का आधार मूल्य 6401 रूपये के आधार पर कुल 648 पौधों के मुआवजा की गणना {राशि=पौधे का आधार मूल्य + (फलत की शेष आयु x औसत उपज x औसत बाजर भाव)} के अनुसार की गयी हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन जयपुर दिनांक 13.07.2006 संशोधित परिपत्र दिनांक 12.03.2018 एवं इसके उपरान्त जारी त्रुटि शुद्धि परिपत्र द्वारा आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर दिनांक 19.11.2020 के अनुसार "मुआवजा राशि की गणना करते समय पौधे की आयु, फलत की शेष उम्र, उपज एवं बाजार भाव का निर्धारण एगमार्कनेट या क्षेत्र से संबंधित कृषि उपज मण्डी/समिति के तीन वर्षों के औसत भाव का औसत लिया जावे व सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।" प्रकरण में सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत कमेटी मूल्यांकन रिपोर्ट परिपत्र दिनांक 19.11.2020 के अनुसार तैयार की गयी हैं। जो विधिसम्मत हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

11. **बिन्दू सं. 3** :– अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निवेदन कि[illegible]मि अवाप्त होने से उनकी भूमि दो टुकड़ों में बंट जाने [illegible] हैं एवं कीमत खत्म हो गयी हैं इस हेतु अतिरिक्त [illegible]। अप्रार्थी सं. 2 सक्षम प्राधिकारी भूमि अ[illegible] रायसिंहनगर द्वारा अवार्ड जारी करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम [illegible] धारा 3ए एवं 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी तथा निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अवार्ड पारित किया गया हैं। अप्रार्थी को चाहिए था कि वे निश्चित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाते इस स्तर पर अप्रार्थी कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं।

12. अवार्ड दिनांक 10.03.2022 को पारित हुआ था। प्रकरण न्यायालय में दिनांक 01.03.2023 को दायर हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक अवार्ड राशि को सक्षम

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के खाता में जमा नहीं करवाया हैं। जबकि प्रार्थी को चाहिए था के प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के खाता में राशि जमा करवाते। राशि सशर्त भी जमा करवाई जा सकती थी कि मध्यस्थ अवार्ड जारी होने से पूर्व राशि का वितरण हितबद्ध पक्षकार को नहीं किया जावे। प्रार्थी का उक्त कृत्य सद्भावपूर्ण नहीं हैं।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अस्वीकार किया जाता हैं एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा पारित आलौच्य अवार्ड दिनांक 10.03.2022 की पुष्टि की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested